1 Q. ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के संगठन, कार्य एवं अधिकारों की विवेचना करें।

Ans:- ब्रिटेन को संसदीय व्यवस्था की जननी एवं संसदीय लोकतंत्र का पुश्तैनी घर माना जाता है। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और राजा नाममात्र का अध्यक्ष है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। ब्रिटेन में शासन तन्त्र के नाम से किया जाता है लेकिन उसके लिए राजा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता बल्कि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमण्डल का होता है। इसलिए वाल्टर बेजहाट ने राजा को सम्मानित कार्यपालिका तथा मंत्रिमण्डल को कुशल कार्यपालिका बताया है। वास्तव में, जो वस्तु, ब्रिटिश शासन को क्रियाशील बनाए रखती है वह ब्रिटिश मंत्रिमण्डल है जिसे कैबिनेट कहा जाता है। यह सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रियों की टोली है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह राज्य के जहाज को चलाने वाला यंत्र है जिसका चालक ब्रिटिश प्रधानमंत्री होता है। कहने को ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन कैबिनेट ने संसद की सत्ता को आच्छादित कर दिया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जेनिंग्स ने इस व्यवस्था को कैबिनेट शासन का नाम दिया है।

कैबिनेट का निर्माता प्रधानमंत्री है। वही अपने मंत्रियों की सूची तैयार करता है जिसे स्वीकार करके राजा उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसे कौन सा विभाग दिया जायेगा, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। अति-महत्वपूर्ण मंत्रियों की टोली को कैबिनेट कहा जाता है जबकि मंत्रिमण्डल के अन्तर्गत सभी मंत्रिगण आते हैं चाहे वे कैबिनेट स्तर के हों या राज्य स्तर के हो या उपमंत्री हो या संसदीय सचिव हो।

अपने मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री यह देखता है कि देश के सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रधानमंत्री कुशलता और अनुभव के तत्व को भी ध्यान में रखकर चयन करता है। वह यह भी देखता है कि संसदीय दल के सभी प्रभावशाली लोगों को मंत्रिमण्डल में लिया जाए, क्योंकि ऐसा न करने पर दल में फूट पड़ सकती है। Ministers of the Crown Act 1964 के अनुसार

Scanned with CamScanner

मंत्रियों की कुल संख्या 91 से अधिक नहीं हो सकती।

महत्वपूर्ण मंत्रियों की टोली को कैबिनेट कहा जाता है। इसका अपना विशेष महत्व है। इसीलिए प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में इन्हीं लोगों को शामिल करता है, जिन्हें प्रशासन को अच्छी तरह चलाने का अनुभव एवं योग्यता हो। साथ ही दलीय संगठन की एकता कायम रहे, इस दृष्टि से भी वह प्रभावी लोगों को कैबिनेट में शामिल करता है। सप्ताह समय पर कैबिनेट की बैठक होती है, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाए तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है। मतों की समान संख्या की स्थिति में प्रधानमंत्री अपना निर्णायक मत देते हैं। निर्णय हो जाने पर इसे सभी मंत्रियों को स्वीकार करना पड़ता है तथा यह निर्णय कैबिनेट का निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से असहमत है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है। कभी कभी प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय मंत्रियों के साथ मिलकर काम करता है या इनके परामर्श को ज्यादा महत्व देता है। इसे आंशिक या भीतरी कैबिनेट कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकडोनाल्ड अपने 6 मंत्रियों की टोली के परामर्श से शासन करते थे जबकि प्रधानमंत्री एटली अपने तीन मंत्रियों की सलाह एवं परामर्श से काम करते थे। चाहे कैसी भी स्थिति हो प्रधानमंत्री ही कैबिनेट के गठन का आधार मिला है।

मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्री अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग द्वारा किये जाने वाले

कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होते है। किसी प्रकार के गलती होने पर उन्हे आलोचना का सामना करना पड़ता है, कभी कभी तो उनके त्याग पत्र देने की भी नौबत आ जाती है। जैसे 1963 मे युद्ध मंत्री प्रोफ्युमों को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उनका नाम कीलर कांड से जुड़ गया था। जबकि सामुहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य । सरकार द्वारा लिए गये किसी निर्णय या कृत्य के लिए मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य सामुहिक रूप से उत्तरदायी होते है। उन्हे सामुहिक आलोचना झेलना पड़ता है तथा यदि कामन्स सभा मे अविश्वास प्रस्ताव या निन्दा प्रस्ताव पारित हो जाय तो पूरी सरकार को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। तथा सरकार गिर जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है। जिसे सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र माना जाता है। यहां एक कहावत चरितार्थ होती है कि सभी मंत्री साथ साथ तैरते है तथा साथ ही डूबते है।

1918 की हैल्डेन कमिटि की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट तीन प्रकार के कार्य करती है।

1. यह उस नीति का अन्तिम रूप से निर्धारण करती है जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कैबिनेट, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। जब कोई नीति-सम्बन्धी निर्णय ले लिया जाता है तब यह हर मंत्री का दायित्व हो जाता है कि वह उसे क्रियान्वित करे।

2. संसद से स्वीकृति स्वन पाने के बाद राष्ट्रीय नीति पर नियंत्रण रखना कैबिनेट का कार्य है। देश के राष्ट्रीय प्रशासन कैबिनेट के सर्वोच्च निरीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन की छत्रछाया मे चलता है।

विभागीय कुशलता को बनाये रखना भी सभी मंत्रियों का कार्य है। वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समय समय पर निर्देश देते रहते हैं। अपने विभागों के कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। संसद में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सम्बन्धित मंत्री को उसका जवाब देना पड़ता है।

3. विभाग के कृत्यों का निरन्तर समन्वय बनाये रखना और उसका परिसीमन करना भी कैबिनेट का कार्य है। यदि मंत्रियों के बीच किसी प्रकार का मतभेद या संघर्ष पैदा होता है तो प्रधानमंत्री उसका निराकरण करता है। मंत्रियों के बीच समन्वय बना रहे इसके लिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करे या किसी मंत्री से त्यागपत्र माँग ले। प्रायः प्रधानमंत्री अपने पास कोई विभाग नहीं रखता है क्योंकि उसका काम सारे प्रशासन पर नियंत्रण और सर्वेक्षण बनाये रखना है।

समय के साथ स्थिति बदलती रही है। धीरे धीरे कैबिनेट ने अपनी स्थिति को इतना प्रभावशाली या महत्वपूर्ण बना लिया है कि अब उसे अधिनायक कहा जाने लगा है। 1929 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने यह टिप्पणी की थी कि पिछली दो पीढ़ियों से कैबिनेट का अधिनायकवाद ब्रिटिश सांविधानिक विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्षण बन गया है। प्रधानमंत्री कामन्स सभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वह चुनाव में किये गये वादों की उपेक्षा करता है। जब सदन किसी विषय पर मतविभाजन होता है तो दल के सदस्यों को Whip के अनुसार Vote देना पड़ता है। कैबिनेट ही रानी का भाषण तैयार करती है जिसमें पिछले वर्ष की उपलब्धियों तथा अगले वर्ष के कार्यक्रमों की चर्चा की जाती है। संसद का सत्र कब बुलाया जाए, उसका समापन कब किया जाए, यह कैबिनेट ही तय करती है। वह देखती है कि कोई प्रस्ताव कामन्स सभा में गिरे नहीं इन बातों पर कैबिनेट सतर्क रहती है। इस प्रकार कैबिनेट ने संसद के मूल कृत्यों का अपहरण कर लिया है। अब संसद भी

रैम्जे म्यूर के शब्दों में अब वह समय आ गया है जब मंत्रिमंडल कानूनी विधि कार्य करता है। इसलिए ब्रिटेन में कैबिनेट शासन को मंत्रिमंडलीय तानाशाही कहा जाता है।